(21)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3266-पीबीआर/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 08-08-2014 पारित द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, जिला इंदौर प्रकरण क्रमांक 184/बी-103/2011-12/33

इण्डियन ओवरसीज बैंक,
द्वारा मुख्य शाखा प्रबंधक
कार्यालय-कार्पोरेट हाऊस, 169, आरएनटी मार्ग, ...आवेदक

विरूद्ध

1. मध्यप्रदेश शासन द्वारा उपपंजीयक,
   क्षेत्र क्रमांक 2, इंदौर
2. श्रीमती कमलजीत कौर पित श्री परमजीत सिंह
3. श्री परमजीत सिंह पिता श्री हवेल सिंह
   निवासी 3/1 अशोक नगर, कानपुर .....अनावेदकगण

श्री भरत मालवीय, अभिभाषक, आवेदक
श्री हेमंत मूंगी, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/6/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (जिसे संक्षेप में अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 56 के अंतर्गत कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला इंदौर द्वारा पारित दिनांक 08-08-2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि उपपंजीयक द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला इंदौर को इस आशय से प्रस्तुत किया गया कि गुरदीपसिंह द्वारा दिनांक 30-01-2012 को इस संशोधन पत्र आवेदक इण्डियन ओवरसीज बैंक के हक में 100 रूपये मुद्रांक पर प्रस्तुत किया है । उक्त लीज संशोधन में मासिक किराया संशोधित किया गया है, जिससे सारभूत परिवर्तन हुआ है । उक्त लीज संशोधन पत्र, संशोधन पत्र की श्रेणी में नहीं होकर नवीन लीज की श्रेणी में आता है । अत: उपपंजीयक प्रश्नाधीन दस्तावेज अधिनियम की धारा 33 के तहत राजसात कर धारा 38(2) के अंतर्गत दस्तावेज का स्वरूप निर्धारित नियत मूल्यांकन एवं कमी मूल्यांकन शुल्क की वसूली हेतु कलेक्टर ऑफ स्टाम्प को संदर्भित किया गया । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा प्रकरण क्रमांक 184/बी-103/2011-12/33 दर्ज कर दिनांक 08-08-2014 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क 2,24,079 देय होना मानकर कमी मुद्रांक शुल्क 2,23,979 रूपये निर्धारित किया जाकर अधिनियम की धारा 40(ख) के तहत सास्ती 5000 रूपये कुल रूपये 2,28,979 जमा करने के आदेश दिया गया । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक एवं अनावेदक क्रमांक 2 व 3 द्वारा प्रस्तुत संशोधन लेख को सारभूत परिवर्तन की श्रेणी में मानने में विधि की त्रुटि है । यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अनावेदक क्रमांक 1 भी यह प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा कि उक्त संशोधन सारभूत परिवर्तन के श्रेणी में कैसे आता है । उक्त उपपंजीयक के अभिमत के अभाव में भी केवल उनके द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन के आधार पर उक्त दस्तावेज की श्रेणी निर्धारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपने जबाब एवं मूल लीज डीड दिनांक 09-06-2011 का अवलोकन न कर अपना अभिमत निर्धारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निष्कर्ष केवल उपपंजीयक के ज्ञापन के आधार के अनुसार निकालने में भूल की है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन संशोधन दस्तावेज से सारभूत परिवर्तन होने के कारण कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकालते हुए मुद्रांक शुल्क एवं सास्ती अधिरोपित की गई है, जिसमें हस्तक्षेप का

कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । उनके द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प का आदेश यथावत रखने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा संशोधन पत्र में लीज के किराये में संशोधन किया गया है, जो कि सारभूत परिवर्तन है । ऐसी स्थिति में कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा अवधारित मुद्रांक शुल्क एवं शास्ति पूर्णतः वैधानिक एवं उचित है इसलिये कलेक्टर ऑफ स्टाम्प का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 08-08-2014 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)

अध्यक्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश

ग्वालियर